मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2224

05.08.2024 को उत्तर के लिए

लौह अयस्क खानों के लिए वन विभाग की अनुमति

2224. श्रीमती जोबा माझी:

क्या ***पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघाहातुबुरु-किरीबुरु स्थित भारतीय इस्पात प्राधिकरण की लौह अयस्क खदान के केन्द्रीय ब्लॉक और दक्षिणी ब्लॉक के 274.50 हेक्टेयर क्षेत्र की वन मंजूरी के चरण-2 का मामला वर्ष 2010 से लंबित है;

(ख) क्या सरकार उक्त मंजूरी जारी करने का विचार रखती है, क्योंकि चरण-2 वन विभाग की अनुमति के बिना उक्त खदान अगले 1-2 वर्षों में बंद होने के कगार पर होगी, जिसके कारण लगभग चालीस हजार श्रमिकों के बेरोजगार होने का खतरा है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री:
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग): झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में किरीबुरू-मेघाहातुबुरू लौह अयस्क खान समूह की पहले से पट्टे पर दी गई 1936.06 हेक्टेयर भूमि से 247.50 हेक्टेयर वन भूमि को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के पक्ष में हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंत्रालय के दिनांक 18.10.2010 के पत्र के साथ पठित दिनांक 07.05.2014 के पत्र द्वारा 'सैद्धांतिक' मंजूरी दे दी गई, बशर्ते उसमें निर्धारित कुछ शर्तें पूरी की जाएं। इस संबंध में, मंत्रालय द्वारा मांगी गई पूरी सूचना राज्य सरकार द्वारा अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

*****